

# नगर निगम, जयपुर

एम्पावर्ड कमेटी प्रशासन शहरों के संग 2012 कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22.3.13 को 4:00 बजे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अंतर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल महापौर
2. श्री जगरुप सिंह यादव मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. श्री सतीश कुमार शर्मा वरिष्ठ नगर नियोजक प्रभार अतिः मुख्य नगर नियोजक
4. श्री आर. के. पालीवाल मुख्य अधियन्ता

अध्यक्ष |  
सदस्य सचिव |  
सदस्य |  
सदस्य |

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मू. सं./योजना का नाम	प्रकरण का प्रकार		प्रकरण पर समिति द्वारा लिया गया निर्णय
			(उपविभाजन/पुर्नगठन/आवासीय निर्माण स्थीकृति/अन्य)	व्यावसायिक	
1.	मैसर्स जयपुर कन्स्ट्रक्शन द्वारा डायरेक्टर श्री महेन्द्र जीत सिंह चढ़दा	1-बी व 132, विजय नगर "ए" करतारपुरा जयपुर	पुर्नगठन स्थीकृति बावत (आवासीय)	निर्माण स्थीकृति/अन्य)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. एजेंडा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार पुर्नगठन मानचित्र अनुमोदित किया जाता है।</li> <li>2. सड़क को 30'-0" किये जाने हेतु आवेदक से 1'-3" x 52'-0" भूमि निशुल्क समर्पित कराई जायें।</li> <li>3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात पुर्नगठन मानचित्र जारी किये जायें।</li> </ol>
2	श्रीमती नीलमा सुनील मात्खरिया एवं श्री भालचन्द सिंह चौधरी	38, केशव नगर, सिविल लाइन, जयपुर	उपविभाजन/पुर्नगठन एवं आवासीय भवन निर्माण निर्माण स्थीकृति बावत।		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. एजेंडा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण स्थीकृत किया जाता है।</li> <li>2. आवेदक द्वारा अग्र साइड व पीछे के सेट बैक में जो बिना स्थीकृति के निर्माण व वाइलेशन किया हुआ है उसे नियमबद्ध करते हुए नियमानुसार नियमबद्ध राशि लेते हुए बेसमेंट के क्षेत्र को नियमबद्ध किया जाता है।</li> <li>3. मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा सड़क को 30'-0" किये जाने हेतु 5'-0"x 60'-0" भूमि मौके पर छोड़ी हुई है। अतः समर्पित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।</li> <li>4. प्रकरण में नाम हस्तान्तरण के दौरान उपविभाजन/पुर्नगठन शुल्क राजस्व शाखा द्वारा लिया जा चुका है अतः पुर्नगठन/उपविभाजन मानते हुए प्रकरण में शेष रही राशि बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड की आवेदक से ली जायें।</li> <li>5. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. होने के कारण नियमानुसार बेटरमेंट लेवी ली जायें।</li> <li>6. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात मानचित्र जारी किये जायें।</li> </ol>

3	श्री बजरंग लाल	21, बरबाडा हाउस, अजमेर रोड, जयपुर	स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण स्थीकृति हेतु।	आवेदक द्वारा कार्यालय को वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण व आवेदन शुल्क पूर्ण जमा नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।
4	श्री महरथी सिंह भाटी	उम्मेद भवन, एम.आई.रोड, जयपुर	आवासीय भवन निर्माण स्थीकृति वावत।	आवेदक द्वारा कार्यालय को वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण व आवेदन शुल्क पूर्ण जमा नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।
5	श्री परमानन्द अग्रवाल	9, बिचून का बाग	उपविभाजन स्थीकृति वावत	आवेदक द्वारा कार्यालय को वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।
6	श्री तरुण वंसल व अच्युत कुमार सिंह	जी-15, कृष्ण मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण स्थीकृति वावत।	1. एजेंडा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण (जी+एस+जी+3 तल) 14.91 मीटर ऊँचाई का अनुमोदन किया जाता है। 2. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. होने पर नियमानुसार बेटरमेंट लेवी ली जायें। 3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानवित्र जारी किये जायें।
7	1. श्री सत्येंद्र सिंह (दक्षिणी भाग) 2. श्री विष्वनारायण (उत्तरी भाग)	ग्राम हीरापुर रोड जयपुर	सेट बैक निर्धारण हेतु।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में रखा जाये कि साईड 30'-0" रोड की चौड़ाई मोक्के पर विष्यान्तरात् भूखण्ड से आगे कितनी है।
8	श्री शशिकान्ता शर्मा	ओ-13, जयपुर सी-स्कीम, बड़मंजिला बावत।	बड़मंजिला आवासीय निर्माण स्थीकृति	1. एंजेंडा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार व वर्णित संशोधन के साथ बड़मंजिला आवासीय पल्टैट्स (एल.बी.+यू.बी.+स्टिल्ट+11 मंजिल) 40.00 मीटर ऊँचाई के मानवित्र अनुमोदित किये जाते हैं। 2. आवेदक द्वारा उपयोग में लिये गये एफ.ए.आर. का 3 प्रतिशत क्षेत्र स्लिट पर दुकानें प्रस्तावित किये गये हैं जिसका नियमानुसार ऊपरतरण शुल्क लिया जाकर अनुमोदित किया जाता है। 3. मास्टर लाइन 2025 के अनुसार सड़क को 120'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदक से आवश्यक भूमि समर्पित कराई जायें। 4. भवन की ऊँचाई 30.00 मीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्थीकृति प्राप्त होने के पश्चात् मानवित्र जारी किये जायें। 5. भवन की ऊँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर अनापति प्राप्त की जायें। 6. नागरिक उड़वत विभाग की अपानति प्राप्त होने के बाद मानवित्र जारी किये जायें। 7. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. होने के कारण नियमानुसार बेटरमेंट लेवी ली जायें। 8. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् फायर की अनापति, राज्य सरकार से स्थीकृति तथा नागरिक उड़वत विभाग की अनापति, भूमि समर्पण के बाद बड़मंजिला आवासीय भवन मानवित्र जारी किये जायें।

<b>9</b> <b>मैसर्स मैगो पीपल</b> <b>होम्स एलएलपी जसिये चौमू हाउस, सी-स्कीम,</b> <b>श्री संजय डगा प्रतिनिधि जयपुर</b>	<b>4, सरदार पटेल मार्ग,</b> <b>चौमू हाउस, सी-स्कीम,</b> <b>जयपुर</b>	<b>आवासीय (बड़मंजिला फ्लैट्स)</b> <b>भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।</b>
<b>10</b> <b>मैसर्स नीता कन्स्ट्रक्शन</b> <b>अनुमोदित उपविभाजन पार्ट ए भूखण्ड खसरा नं. 64, ग्राम सुदर्शनपुर बाईस गोदाम, जयपुर</b>	<b>बड़मंजिली आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।</b>	<p>प्रकरण पर समिति द्वारा विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये गये औके पर जो निर्माण कर रखा है उसकी नियमानुसार शास्त्री लेकर नियमबद्ध योग्य क्षेत्र को नियमबद्ध किया जाता है। भवन में नियमबद्ध योग्य क्षेत्र के अतिरिक्त अनियमबद्ध क्षेत्र को औके से हटाने के पश्चात् ही नियमबद्ध मानचित्र जारी किये जायें।</li> <li>2. फायर स्टेपर केस के सामने साइड में गैस आंशिक कवर (1.6 उंचाई में) के निर्माण को भवन की सरचनात्मक स्टेविलिटी आवश्यकता को देखते हुए यदि अग्निशमन अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है तो नियमबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया।</li> <li>3. भवन मानचित्र समिति की ओर बैठक दिनांक 03.03.2008 में स्वीकृत</li> </ol>

<p>24.00 मीटर उँचाई (एस+7 तल) के अतिरिक्त प्रस्तावित बेसमेन्ट + 8 व 9 तल व विभिन्न तलों पर प्रस्तावित संशोधन (कुल उँचाई 29.63 मीटर स्थिति सहित) के अनुमोदित बात हेतु राज्य सरकार से भूखण्ड की विशेष स्थिति को (स्पेशल लोकेशन) व रेलवे ओवर ब्रिज (ROW) की स्थिति को देखते हुए याज्ञ सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित 29.63 मीटर उँचाई को स्वीकृत किया जाए या नहीं।</p> <p>4. आवेदक द्वारा उपयोग में लिये गये एफ.ए.आर. (निर्मित भवन) का 3 प्रतिशत क्षेत्र स्टिट पर दुकानें अनुमोदित की जाती है। जिसका नियमानुसार रूपान्तरण शुल्क लिया जाकर अनुमोदित किया जाता है।</p> <p>5. भवन की ऊँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर की अनापत्ति प्राप्त की जायें।</p> <p>6. भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 22.02.2012 में लिए गये नीतिगत निर्णय अनुसार नगरिक उड्यग्न विभाग की अनापत्ति लिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में यदि कोई न्यायिक विवाद चल रहा है तो आवेदक को उसे बाप्स लेने की शर्त के साथ ही मानवित्र अनुमोदित किये जाते हैं व न्यायिक विवाद को बाप्स लेने के पश्चात ही मानवित्र जारी किये जायें।</p> <p>7. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात, फायर की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात मानवित्र जारी किये जाते हैं।</p>
--

क्रमांक :- एफ 13 ( ) च. न. नियो./जननि./2013/ ६३

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, ना. महापौर महोदया, नगर निगम, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नार निगम, जयपुर।
3. अतिं मुख्य नार नियोजक, नार निगम, जयपुर।
4. अधीक्षण अधिकारी, नार निगम, जयपुर।
5. संबंधित आत्मक, ..... जोन, नार निगम, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

उम्मीद  
अध्यक्ष,  
महापौर  
नार निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
नार निगम, जयपुर

सदस्य,  
वरिष्ठ नार नियोजक  
प्रभार अतिं मुख्य नार नियोजक  
नार निगम, जयपुर

सदस्य,  
मुख्य अधिकारी  
नार निगम, जयपुर

आद्यक्ष (आयोजना)  
नार निगम, जयपुर

दिनांक:- ८/५/१३

सदस्य सचिव,  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
नार निगम, जयपुर